फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बद्रीलाल | **विपक्षी : श्री नारायण**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 130/21**

जीसीएमएस : 2021/522

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 219 पर दर्ज आराजी नम्बर 1169, 1170 किता 2 कुल रकबा 1.3192 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करते हो। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र मौखिक कथन कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। साथ ही प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का है तथा विपक्षीगण बाहुबल से प्रार्थी की भूमि में अविधिक तरीके से बेदखल कर करने का प्रयास कर रहे है। इस संबंध मे भी प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का हो। वैसे भी प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा 21.12.2021 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण में किसी प्रकार की अतरिम अस्थाई [illegible] भी जारी नही थी। यदि विपक्षीगण बाहुबल के आधार पर कब्जा [illegible] पर उतारू होते तो अवश्य	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested

ही प्रार्थीगण के पास कोई साक्ष्य होता जो पत्रावली में प्रस्तुत करता। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा ऐसा नही किया गया। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होते है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:47 IST
Reason: SelfAttested